न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 167/2022

दायर दिनाँक 11.05.2022

वादीगण

1. छितर पुत्र भागीरथराम,
2. गोविन्द पुत्र भागीरथराम,
3. श्यामलाल पुत्र भागीरथराम,
4. केशरमल पुत्र भागीरथराम,
5. बनारसी पुत्री भागीरथराम,
6. मनीषा उर्फ मुनी पुत्री भागीरथराम,
7. निरमा पुत्री भागीरथराम, समस्त जाति भाम्बी, निवासीयान छापरी, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादी

1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188

उपस्थितः–

1. श्री कमलेश कुमार एडवोकेट वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 07.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 260 रकबा 1.2000 हैक्टर, खसरा संख्या 261 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 403 रकबा 3.7200 हैक्टर, कुल 4.9700 हैक्टर वाके पायली स्थित है। जिसकी खातेदारी में वादीगण की माता भंवरी के नाम से खातेदारी 1/5 हिंस्सा दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। वादीगण के पिता भागीरथराम की शादी ग्राम पायली, तहसील डीडवाना की भंवरी पुत्री चिमना जाति भाम्बी के साथ विवाह हुआ था, तथा भागीरथराम की पत्नि भंवरी से चार पुत्र वादी संख्या 01 ता 04 व तीन पुत्रियां वादी संख्या 05 ता 07 पैदा हुयी, तथा चिमना पुत्र युधा भाम्बी निवासी पायली के फोत होने पर उक्त खेतो की खातेदारी सहव से भंवरी पत्नि चिमना भाम्बी निवासी पायली के नाम से दर्ज हो गयी, जबकि भंवरी के पिता का नाम चिमनाराम है। इस नाम की दुरूस्ती की जानी जरूरी है।

वादीगण की माता भंवरी का स्वर्गवास दिनॉक 19.09.2014 को हो चुका है। तथा उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में भंवरी के पति का नाम भागीरथराम दर्ज है। इसी प्रकार वादीगण के पिता भागीरथराम की मृत्यु दिनॉक 18.10.2016 को हो चुकी है। उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी पत्नि का नाम भंवरी देवी दर्ज है। भागीरथराम का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत प्रेमपुरा से दिनॉक 01.11.2016 का जारी किया हुआ है। तथा भंवरी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनॉक 20.08.2019 को जारी किया हुआ है। दोनो प्रमाण पत्रो की प्रतियां वाद के साथ पेश है।

वादीगण की माता भंवरी के पिता चिमनाराम के कोई पुत्र नहीं थां, केवल एक मात्र पुत्री भंवरी थी, जिस[illegible] चुकी है। जिसके जायज वारिसान हम वादीगण है। तथा उक्त खेत की खातेदारी में भंवरी की जगह वादीगण के नाम से खातेदारी की घोषणा करवाने [illegible] हकदार है। वादीगण के अलावा स्वर्गीय भंवरी के अन्य कोई वारिस [illegible] है। अतः वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है। उक्त खेतो की खातेदारी में भंवरी पत्नि चिमना के गल्त अंकन की जगह भंवरी पुत्री चिमना किया जाना चाहिए था लेकिन राजस्व रेकर्ड में गल्त अंकन भंवरी पत्नि चिमना कर दिया, जो सरासर गल्त है, जबकि चिमना की पत्नि का नाम छोटुड़ी है। उक्त खेतो में काश्त वादीगण अपनी माता भंवरी के साथ करते आयें है तथा वादीगण की माता भंवरी देवी के वर्ष 2014 में मृत्यु होने के बाद वादीगण अबाध रूप से काश्त करते आ रहे है, तथा इस वर्ष भी काश्त वादीगण ने ही की थी, तथा वादीगण ही अपने बंट में आये खेतो के हर वर्ष बाड़ करते रहे है। उक्त बिनाय दावा हाल ही में वादीगण द्वारा सरकारी सहायता के लिये अलग अलग फाइलें बनवाने के लिये जाने से गल्त अंकन व अपने नाम से नामान्तरकरण नहीं होने की जानकारी होने से अपना खाता से दिनॉक 09.05.2022 को जमाबन्दी की नकल लेने से अन्दर हदुद अदालत हाजा बमुकाम पायली पैदा हुआ, दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है तथा दावा अन्दर मयाद है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में आदेश 18 नियम 04 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया, जो शामिल मिशल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादीगण ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा संख्या 260 रकबा 1. 2000 हैक्टर, खसरा संख्या 261 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 403 रकबा 3.7200 वाके पायली में भवरी की 1/5 हिंस्से की खातेदारी की जगह वादीगण के नाम से खातेदारी घोषित कि जावें, तथा भवंरी पत्नि चिमना की बजाय भंवरी पुत्री चिमना के अंकन की दुरूस्ती की जावें। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

डिक्री, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगी।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 07.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:37 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 167/2022 दायर दिनाँक 11.05.2022

प्रार्थीगण
1. छितर पुत्र भागीरथराम,
2. गोविन्द पुत्र भागीरथराम,
3. श्यामलाल पुत्र भागीरथराम,
4. केशरमल पुत्र भागीरथराम,
5. बनारसी पुत्री भागीरथराम,
6. मनीषा उर्फ मुनी पुत्री भागीरथराम,
7. निरमा पुत्री भागीरथराम, समस्त जाति भाम्बी, निवासीयान छापरी, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थी
1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188

दिनाँक 07.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री कमलेश कुमार एडवोकेट वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा संख्या 260 रकबा 1.2000 हैक्टर, खसरा संख्या 261 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 403 रकबा 3.7200 वाके पायली में भवरी की 1/5 हिंस्से की खातेदारी की जगह वादीगण के नाम से खातेदारी घोषित कि जावें, तथा भवंरी पत्नि चिमना की बजाय भंवरी पुत्री चिमना के अंकन की दुरूस्ती की जावें। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

डिक्री, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगी।

नीज..........—.......... मुवलिंग............—............... बाबत.....................—............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन जो बजरिये डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner